

# गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

## गौतम बुद्ध नगर

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की सत्रहवीं बैठक दिनांक: 11 जनवरी, 2016 को पूर्वाह्न : 11:30 बजे मा० कुलपति, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अधोलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

(क) प्राविधिक शिक्षा परिषद का एक नामनिर्देशिती;

1. प्रो० एम. बालाकृष्णन .....सदस्य  
डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग  
आई०आई०टी० दिल्ली  
दिल्ली

(ख) शिक्षा सोसायटी द्वारा निर्दिष्ट नाम:

2. प्रो० ए.के. खरे .....सदस्य  
पूर्व प्रति कुलपति, यू.पी.टी.यू.  
वर्तमान,  
मा० कुलपति,  
सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय  
जयपुर - राजस्थान।
3. प्रो० ओंकार सिंह .....सदस्य  
मा० कुलपति  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
गोरखपुर - उत्तर प्रदेश।
4. प्रो० डी०आर० भास्कर .....सदस्य  
इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकाशन इंजीनियरिंग विभाग  
फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी,  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया  
जामिया नगर- नई दिल्ली।

(ग) विश्वविद्यालय के तीन आचार्य:

5. प्रो० अनुराधा मिश्रा .....सदस्य  
प्रोफेसर  
एवं अधिष्ठाता शैक्षिक,  
अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एण्ड एप्लाइड साइंसेज,  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।
6. डा० नीति राणा, .....सदस्य  
एसोशिएट प्रोफेसर  
एवं अधिष्ठाता, छात्र कल्याण  
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ आई०सी०टी०  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।
7. डा० आनन्द सिंह, .....सदस्य  
एसोशिएट प्रोफेसर  
एवं अधिष्ठाता शोध एवं नियोजन  
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बुद्धिष्ठ स्टडीज एण्ड सिविलाईजेशन  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

07

09

(घ) प्रत्येक संकाय से एक आचार्य:

8. डा0 श्वेता आनन्द .....सदस्य  
एसोशिएट प्रोफेसर  
एवं प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।
9. डा0 अंजना सोलंकी .....सदस्य  
एसोशिएट प्रोफेसर  
एवं प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।
10. डा0 इन्दु उप्रेती .....सदस्य  
एसोशिएट प्रोफेसर  
एवं प्रभारी अधिष्ठाता,  
स्कूल ऑफ ह्युमैनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज,  
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ लॉ, जस्टिस एण्ड गवर्नेंस

(ङ) औद्योगिक विकास विभाग से प्रतिनिधि:

11. श्री देवी प्रसाद .....सदस्य  
सयुक्त सचिव  
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन
12. श्री अमर नाथ उपाध्याय .....सचिव  
कुलसचिव,  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

विशेष आमंत्रित सदस्य:

13. श्री रमा रमन  
आई.ए.एस.  
अध्यक्ष,  
नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
नोएडा।
14. श्री जनार्दन  
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
ग्रेटर नोएडा।
15. श्री पंकज शर्मा,  
वित्त अधिकारी,  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।
16. श्री ललित गुप्ता  
सहायक कुलसचिव/अधिसासी अभियन्ता,  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

जो सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके:

1. डा0 सीमा द्विवेदी .....सदस्य  
एसोशिएट प्रोफेसर  
एवं प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलोजी,  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

७

७

**:: कार्यवाही का विवरण ::**

- 17.16.01 प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 18 मई, 2015 को सम्पन्न हुई सोलहवीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।  
विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 18 मई, 2015 को सम्पन्न हुई सोलहवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के सम्मानित सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
- 17.16.02 प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 18 मई, 2015 को सम्पन्न हुई सोलहवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का विवरण।  
विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 18 मई, 2015 को सम्पन्न हुई सोलहवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही के विवरण को बोर्ड के सम्मानित सदस्यों द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं बिन्दु संख्या 15. 14.23 1. "Emphasis should be given for academic excellence in the University" का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- 17.16.03 वित्त समिति की दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न हुई सोलहवीं बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।  
वित्त समिति की दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को हुई सोलहवीं बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये।
- 17.16.04 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न विद्या परिषद् की चौदहवीं बैठक का कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।  
विद्या परिषद् की दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न हुई चौदहवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड द्वारा अवलोकन कर अपनी सहमति व्यक्त की गई।
- 17.16.05 श्री अमर नाथ उपाध्याय द्वारा विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया जाना। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या अर्द्धशासकीय संख्या-टी-95/दो-2-2015 दिनांक 14 जुलाई, 2015 के अनुपालन में दिनांक 05 अगस्त, 2015 (पूर्वाहण) को कुलसचिव के पद पर श्री अमर नाथ उपाध्याय द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम-2008" की धारा 13 में संशोधित मूल नियम के अनुसार कुलसचिव की नियुक्ति को अनुमोदित किया गया।

७

७९



17.16.06

विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक पदों पर चयन समितियों द्वारा की गई संस्तुतियों का विवरण, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय के अध्यादेश की धारा (04) के अनुरूप गठित चयन समितियों की संस्तुतियों को बोर्ड को प्रस्तुत किया गया। चयन समिति की संस्तुतियों का विवरण निम्नवत् है:

**असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु**

Name of School	Name of Department	No. of Posts Advertised	Specializations	Recommendation of Selection Committee
School of Humanities & Social Sciences	Psychology & Wellbeing	02	Clinical Psychology	Dr. Krishan Kumar
School of Engineering	Architecture & Planning	03	Architecture/ Planning	Dr. Mohd. Arif Kamal
School of Law, Justice & Governance	Law	04	Law of Crime, Cyber Law & IPR, Family Law, Banking Law & Insurance Law, Procedural Law, Competition Law, Public International Law, Moot Court and Clinical	Dr. Rama Sharma Dr. Krishan Kant Dwivedi

**प्रोफेसर पद हेतु**

Name of School	Name of Department	No. of Posts Advertised	Specializations	Recommendation of Selection Committee
School of Engineering	Civil Engg.	01	Structural/Environmental	Dr. Arun Kansal
	Electrical Engg.	01	Power System	Dr. Dheeraj Kumar Palwalia

चयन समितियों की संस्तुतियों को बोर्ड के मा० सदस्यों के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

17.16.07

विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षणेतर पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु चयन समितियों द्वारा की गई संस्तुतियों का विवरण, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षणेतर पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु चयन समितियों द्वारा की गई संस्तुतियों की सूची से बोर्ड अवगत हुआ। चयन संस्तुतियों का विवरण निम्नवत् है:

पद नाम	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम
डिप्टी लाइब्रेरियन	श्रीमती माया देवी	श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा
असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ग्रेड-1)	श्री पप्पन बाबू	श्री कालीचरन

चयन समिति की संस्तुतियों को बोर्ड के मा० सदस्यों के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया एवं भविष्य में इस प्रकार के विषय (प्रतिनियुक्ति) को केवल बोर्ड के सुचनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

विश्वविद्यालय के अनुरक्षण विभाग में की गई नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण किये जाने वाले सदस्यों का विवरण।

विश्वविद्यालय के अनुरक्षण विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुतियाँ की गयी।

1. सहायक अभियन्ता, सिविल पद हेतु:-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	समेकित वेतनमान रु०
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	स्व० श्री भजन लाल	34,280.00
प्रतीक्षा सूची:			
1.	श्री सुभाष चन्द गोयल	स्व० श्री आंगन लाल	

2. सहायक अभियन्ता, विद्युत पद हेतु:-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	समेकित वेतनमान रु०
1.	श्री मदन पाल	स्व० श्री काशी राम	34,280.00
प्रतीक्षा सूची:			
1.	श्री पदम सिंह	श्री मुंशी लाल त्यागी	

3. अवर अभियन्ता, सिविल पद हेतु:-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	समेकित वेतनमान रु०
1.	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री जागे राम	27,000.00
2.	श्री परिपूर्णानन्द श्रीवास्तव	श्री बिहारी शरण लाल श्रीवास्तव	27,000.00

4. उद्यान निरीक्षक पद हेतु:-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	समेकित वेतनमान रु०
1.	श्री राम मेहर सिंह	श्री मिट्ठन सिंह	27,000.00

5. ड्राफ्ट्समैन पद हेतु:-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	समेकित वेतनमान रु०
1.	श्री प्रेम कुमार	स्व० श्री धनी राम	16,000.00

चयन समिति द्वारा संस्तुति अभ्यर्थियों को दो वर्ष की संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है:

क्र० सं०	नाम	पद का नाम	समेकित वेतनमान रु० प्रतिमाह	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	सहायक अभियन्ता (सिविल)	34280/-	05.10.2015
2.	श्री पदम सिंह त्यागी	सहायक अभियन्ता (इलेक्ट्रीकल)	34280/-	01.12.2015
3.	श्री परिपूर्णानन्द श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता (सिविल)	27000/-	05.10.2015
4.	श्री राजेन्द्र सिंह	अवर अभियन्ता (सिविल)	27000/-	10.11.2015
5.	श्री राम मेहर सिंह	उद्यान निरीक्षक	27000/-	28.09.2015

चयन समिति की संस्तुतियों को बोर्ड के मा० सदस्यों के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा कार्यभार ग्रहण करने वाले सदस्यों की सूची से बोर्ड अवगत हुआ एवं भविष्य में इस प्रकार के विषय (सेवानिवृत्त) को केवल बोर्ड के सुचनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

67

69



17.16.09

विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र स्वीकृत होने एवं संविदा नियुक्ति की अवधि का विस्तार न किये जाने पर कार्यमुक्त होने वाले संकाय सदस्यों का विवरण।

विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र स्वीकृत होने एवं संविदा नियुक्ति की अवधि का विस्तार न किये जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त हो चुके संकाय सदस्यों का विवरण माननीय प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

17.16.10

विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित एकलव्य क्रीडा परिसर में विभिन्न मैदानों एवं इनडोर स्टेडियमों को खेल-कूदों के आयोजन किए जाने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं से प्रतिदिन की दर से शुल्क के निर्धारण एवं संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय।

विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित एकलव्य क्रीडा परिसर में विभिन्न मैदानों एवं इनडोर स्टेडियमों को खेल-कूदों के आयोजन किए जाने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं से प्रतिदिन की दर से शुल्क के निर्धारण किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के मा० सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड के मा० सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को यथाप्रस्तावित अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह सुझाव भी दिया गया कि भविष्य में दरों में Revision मुद्रास्फीति की दर के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर करके वित्त समिति के माध्यम से प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

17.16.11

विश्वविद्यालय स्थित कन्वेंशन सेंटर, गेस्ट हाउस तथा प्रेक्षागृह को किराये पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दरों के निर्धारण पर निर्णय।

प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों के समक्ष विश्वविद्यालय स्थित कन्वेंशन सेंटर, गेस्ट हाउस तथा प्रेक्षागृह को किराये पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दरों एवं शर्तों के निर्धारण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड के मा० सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि इन दरों में समय-समय पर लागू सर्विस टैक्स की लागत भी जोड़ी जाए। साथ ही बोर्ड द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि भविष्य में यदि दरों में बढ़ोतरी की आवश्यकता होती है तो दर सूचकांक के आधार पर प्रस्ताव वित्त समिति द्वारा स्वीकृत किया जाए।

17.16.12

भवन आवंटन समिति द्वारा प्रेषित संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विश्वविद्यालय की सेवा से कार्यमुक्त होने के उपरान्त आवंटित आवास में निवास के सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड की 14वीं बैठक द्वारा अनुमोदित प्रावधान में संशोधन अनुमोदित किया गया है:-



वर्तमान व्यवस्था	भवन आवंटन समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन:-	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित																				
<p>सेवाएं समाप्त/त्यागपत्र/स्थानान्तरण/मृत्यु की स्थिति में भवन 30 दिन के अन्दर खाली कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त अवधि के पूर्ण होने एवम् भवन खाली न किए जाने की स्थिति में जिसका किराया ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बाजार दर के आधार पर वसूला जाएगा। बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बाजार दर के आधार पर अधिकतम 2 माह तक निवास अनुमन्य होगा, तदुपरान्त निवास खाली करना अनिवार्य होगा। यदि दो माह बाद आवास खाली नहीं किया जाता है तो अनधिकृत अध्यासी मानते हुए नियमानुसार कडी कार्यवाही की जाएगी तथा इस अवधि में आवास में टूट फूट का व्यय भार सम्बन्धित अध्यासी द्वारा वहन किया जाये।</p>	<p>“सेवाएं समाप्त/त्यागपत्र/स्थानान्तरण/मृत्यु की स्थिति में भवन 30 दिन के अन्दर खाली करना होगा। उक्त अवधि के पूर्ण होने के उपरांत कर्मचारी के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों (मेडिकल/बच्चों की परीक्षा इत्यादि) में सक्षम स्तर से अनुमति के पश्चात् निम्न अवधि व दरों पर अध्यासन अनुमन्य किया जा सकेगा परन्तु यह अनुमन्यता किसी भी दशा में 09 माह से अधिक नहीं होगी।</p> <table border="1" data-bbox="678 952 1077 1758"> <thead> <tr> <th>अवधि</th> <th>किराया</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 माह तक</td> <td>निर्धारित लाईसेन्स फीस</td> </tr> <tr> <td>01 माह के उपरांत अग्रेत्तर 03 माह तक</td> <td>लाईसेन्स फीस का 03 गुणा किराया</td> </tr> <tr> <td>03 माह के उपरांत अधिकतम 06 माह</td> <td>लाईसेन्स फीस का 10 गुणा किराया</td> </tr> <tr> <td>06 माह से 09 माह तक</td> <td>लाईसेन्स फीस दर का 20 गुणा</td> </tr> </tbody> </table> <p>उल्लिखित अवधि के पश्चात् अध्यासन को पूर्णतया अवैध मानते हुए बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।</p>	अवधि	किराया	01 माह तक	निर्धारित लाईसेन्स फीस	01 माह के उपरांत अग्रेत्तर 03 माह तक	लाईसेन्स फीस का 03 गुणा किराया	03 माह के उपरांत अधिकतम 06 माह	लाईसेन्स फीस का 10 गुणा किराया	06 माह से 09 माह तक	लाईसेन्स फीस दर का 20 गुणा	<p>“सेवाएं समाप्त/त्यागपत्र/स्थानान्तरण/मृत्यु की स्थिति में भवन 30 दिन के अन्दर खाली करना होगा। उक्त अवधि के पूर्ण होने के उपरांत कर्मचारी के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों (मेडिकल/बच्चों की परीक्षा इत्यादि) में सक्षम स्तर से अनुमति के पश्चात् निम्न अवधि व दरों पर अध्यासन अनुमन्य किया जा सकेगा।</p> <table border="1" data-bbox="1109 750 1508 1512"> <thead> <tr> <th>अवधि</th> <th>किराया</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 माह तक</td> <td>निर्धारित लाईसेन्स फीस</td> </tr> <tr> <td>01 माह के उपरांत अग्रेत्तर 03 माह तक</td> <td>बाजार दर पर</td> </tr> <tr> <td>03 माह के उपरांत अधिकतम 06 माह</td> <td>बाजार दर का 1.5 गुणा किराया</td> </tr> <tr> <td>06 माह से आगे</td> <td>बाजार दर का 2 गुणा</td> </tr> </tbody> </table> <p>एक माह की अवधि के पश्चात् बिना अनुमति के अध्यासन को पूर्णतया अवैध मानते हुए बेदखली की कार्यवाही एवं सुसंगत विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बाजार दर की गणना समय-समय पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दरों के आधार पर की जायेगी।</p>	अवधि	किराया	01 माह तक	निर्धारित लाईसेन्स फीस	01 माह के उपरांत अग्रेत्तर 03 माह तक	बाजार दर पर	03 माह के उपरांत अधिकतम 06 माह	बाजार दर का 1.5 गुणा किराया	06 माह से आगे	बाजार दर का 2 गुणा
अवधि	किराया																					
01 माह तक	निर्धारित लाईसेन्स फीस																					
01 माह के उपरांत अग्रेत्तर 03 माह तक	लाईसेन्स फीस का 03 गुणा किराया																					
03 माह के उपरांत अधिकतम 06 माह	लाईसेन्स फीस का 10 गुणा किराया																					
06 माह से 09 माह तक	लाईसेन्स फीस दर का 20 गुणा																					
अवधि	किराया																					
01 माह तक	निर्धारित लाईसेन्स फीस																					
01 माह के उपरांत अग्रेत्तर 03 माह तक	बाजार दर पर																					
03 माह के उपरांत अधिकतम 06 माह	बाजार दर का 1.5 गुणा किराया																					
06 माह से आगे	बाजार दर का 2 गुणा																					

7

9



विश्वविद्यालय में सृजित शैक्षिक पदों की शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव में संशोधन के सम्बन्ध में निर्णय।

विश्वविद्यालय में सृजित शैक्षिक पदों की शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव में संशोधन के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के मा० सदस्यों के समक्ष पुनर्निर्धारित न्यूनतम अर्हता तथा पुरानी निर्धारित अर्हता को निम्नवत् तालिका में प्रस्तुत किया गया है जिसमें बोर्ड के द्वारा निम्नानुसर संशोधन करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

Existing	Proposed	Decision taken
<p><b>4. Eligibility Criteria</b></p> <p><b>4.1 Academic Eligibility Criteria for Professors, Associate Professors and Assistant Professors</b></p> <p>Ph.D. with a Post Graduate degree in First Division or equivalent in the appropriate discipline and Under Graduate degree with minimum 55% marks or equivalent. A relaxation of 5% in marks or equivalent relaxation in grade is allowed in case of SC/ST/Physically Challenged candidates.</p> <p>An outstanding professional working in industry/research institutions with established reputation, and having made significant contributions to the profession can be exempted from the requirements of having a Ph.D. degree and having guided doctoral research, for appointment in exceptional cases.</p> <p><b>4.2 Professional Experience Essential</b></p> <p><b>(a) For Professors:-</b> Minimum 10 Years of Teaching/ Research/ Industrial experience at appropriate level, of which at least 4 years should be at the level of Associate Professor or equivalent position and should have at least four research publications in refereed Journals. Experience of having supervised Ph.D. research successfully completed.</p> <p><b>(b) For Associate Professors:-</b> Minimum 08 Years of Teaching/Research/Industrial experience at appropriate level, of which at least 3 years should be at the level of Asst. Professor or equivalent position and should also have at least</p>	<p><b>4. Eligibility Criteria</b></p> <p><b>4.1 Academic Eligibility Criteria for Professors, Associate Professors and Assistant Professors</b></p> <p>Ph.D. with a Post Graduate degree in First Division (60%) or equivalent in Engineering/Technology, Sciences and Management, and 55% percent in Social Sciences, Humanities, and Law or equivalent in the appropriate discipline and Under Graduate degree with minimum 55% marks or equivalent. A relaxation of 5% in marks or equivalent relaxation in grade is allowed in the case of SC/ST/Physically Challenged candidates. Similar relaxation in age if applicable will be permissible as per U.P. government norms.</p> <p><b>4.2 Professional Experience Essential</b></p> <p><b>(a) For Professors:</b> Minimum 10 Years of Teaching/ Research/ Industrial experience with experience of teaching at postgraduate level.</p> <p>The candidate should have at least ten research publications in refereed reputed journals and should have evidence of independent research.</p> <p>The candidate should have experience of guiding Ph.D. research. (at least one Ph.D. Completed)</p> <p>The candidate should have minimum API score as prescribed by UGC.</p> <p style="text-align: center;"><b>Or</b></p> <p>A person with exceptional eminence in related field may be appointed directly as professor. In such cases other essential qualifications may be relaxed. The selection committee's decision should be in the nature of speaking order. The selection committee should record explicitly the nature of eminence of the applicant.</p> <p><b>(b) For Associate Professors:</b> Minimum 08 Years of Teaching/Research/Industrial experience at the level of Asst. Professor or equivalent position.</p> <p>The candidate should also have at least five research publications in refereed reputed journals.</p> <p>The candidate should have minimum API score as prescribed by UGC.</p> <p><b>(c) For Assistant Professors:</b> The candidate should have Minimum 03 Years of post Ph.D. Teaching/Research/</p>	<p><b>4. Eligibility Criteria</b></p> <p><b>4.1 Academic Eligibility Criteria for Professors, Associate Professors and Assistant Professors</b></p> <p>Ph.D. with a Post Graduate degree with First Division or equivalent in Engineering/Technology, Sciences and Management and 55% in U.G Level. Ph.D. with a Post Graduate degree and Under Graduate degree with first division in either of the two degrees &amp; 55% percent in the other degree for Social Sciences, Humanities, and Law or equivalent in the appropriate discipline. A relaxation of 5% in marks or equivalent relaxation in grade is allowed in the case of SC/ST/Physically Challenged candidates. Similar relaxation in age if applicable will be permissible as per U.P. government norms.</p> <p><b>4.2 Professional Experience Essential</b></p> <p><b>(a) For Professors:</b> Minimum 10 Years of Teaching/ Research/ Industrial experience at appropriate level, of which at least 4 years should be at the level of Associate Professor or equivalent position.</p> <p>The candidate should have at least ten research publications indexed in Scopus, Web of Science, Indian Citation Index, &amp; in University approved list of journals. He/She should have evidence of independent research.</p> <p>The candidate should have experience of guiding Ph.D. research. (at least one Ph.D. Completed)</p> <p>The candidate should have minimum 450 API score.</p> <p style="text-align: center;"><b>Or</b></p> <p>A person with exceptional eminence in related field may be appointed directly as Professor. In such cases other essential qualifications may be relaxed. The selection committee's decision should be in the nature of speaking order. The selection committee should record explicitly the nature of eminence of the applicant.</p> <p><b>(b) For Associate Professors:</b> Minimum 08 Years of Teaching/Research/Industrial experience at the level of Asst. Professor or equivalent position.</p> <p>The candidate should also have at least five research publications indexed in Scopus, Web of Science, Indian Citation Index, &amp; in University approved list of journals.</p> <p>The candidate should have minimum 350 API score.</p>

97

CSA



<p>two research publications in refereed Journals.</p> <p><b>(c) For Assistant Professors:-</b> Minimum 03 Years of post Ph.D. Teaching/Research/ Industrial experience.</p> <p><b>4.3 Desirable Experience and Recognitions</b></p> <p><b>(a) For Professors</b></p> <p>Visiting Professorship in a leading Institute, Fellowship of Eminent Academies, Distinguished Awards and other recognitions and post-doctoral Fellowship in a reputed Institute are desirable.</p>	<p>Industrial experience.</p> <p>The candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) or equivalent as accredited by UGC or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree Regulations).</p> <p>The candidate should have minimum API score as prescribed by UGC.</p> <p><b>4.3 Desirable Experience and Recognitions</b></p> <p><b>For Professors</b></p> <p>Fellowship of Eminent Academies, Distinguished Awards and other recognitions, and experience of visiting faculty/scientist in reputed national and international institution.</p> <p><b>2. Adjunct Faculty:</b> In alignment with global best practices Adjunct Faculty will be classified into two groups.</p> <p>(a) Domain Experts (with same requirement as recognized Teachers' in the current ordinances)</p> <p>(b) Experts from industry with same requirement as adjunct faculty in the earlier ordinances for conducting an instructional course (full or part thereof)</p> <p>Due to exigencies in faculty availability and/or to provide specific specialized inputs, Adjunct faculty are invited to teach a major part or all of a normal course, the identification of the Adjunct faculty will be the responsibility of the concerned Areas in consultation with the concerned Department Head with the approval of the Vice Chancellor. The rate of honorarium and other terms shall be a decided by the VC/University Administration.</p> <p><b>Note:</b> any other regulation of statutory bodies such as BCI, RCI, NCTE, etc. shall apply for the appointment of Teachers in the concerned school/department, wherever necessary. Normally standards laid down by UGC will not be violated and provisions of other bodies will apply only if they prescribe standards higher than UGC</p>	<p><b>Desirable:</b> The candidate should have experience of guiding Ph.D. research. (at least one Ph.D. Completed)</p> <p><b>(c) For Assistant Professors:</b> The candidate should have Minimum 03 Years of post Ph.D. Teaching/Research/ Industrial experience.</p> <p>The candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) or equivalent as accredited by UGC or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree Regulations).</p> <p>The candidate should have minimum 150 API score.</p> <p><b>4.3 Desirable Experience and Recognitions</b></p> <p><b>For Professors</b></p> <p>Fellowship of Eminent Academies, Distinguished Awards and other recognitions, and experience of visiting faculty/scientist in reputed national and international institution.</p> <p><b>2. Adjunct Faculty:</b> In alignment with global best practices Adjunct Faculty will be classified into two groups.</p> <p>(c) Domain Experts (with same requirement as recognized Teachers' in the current ordinances)</p> <p>(d) Experts from industry with same requirement as adjunct faculty in the earlier ordinances for conducting an instructional course (full or part thereof)</p> <p>Due to exigencies in faculty availability and/or to provide specific specialized inputs, Adjunct faculty are invited to teach a major part or all of a normal course, the identification of the Adjunct faculty will be the responsibility of the concerned school in consultation with the concerned Department Head with the approval of the Vice Chancellor. The rate of honorarium and other terms shall be a decided by the VC/University Administration.</p> <p><b>Note:</b> Any other regulation of statutory bodies such as BCI, RCI, NCTE, etc. shall apply for the appointment of Teachers in the concerned school/department, wherever necessary. Normally standards laid down by UGC will not be violated and provisions of other bodies will apply only if they prescribe standards higher than UGC</p>
---	---	--

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ, बैठक सम्पन्न हुई।

9. 12.1.16.  
(अमर नाथ उपाध्याय)  
सदस्य सचिव, प्रबन्ध बोर्ड  
एवं  
कुलसचिव  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

CH  
(डा० जे.पी. शर्मा)  
अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड  
एवं  
कुलपति  
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय